

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 17/2024

वादी

बनाम

प्रतिवादीगण

गंगादेवी पत्नि डालूराम जाति जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा।

1. मीरोदेवी पत्नि रतनाराम
2. रिधु पत्नि पूनमाराम
3. कंवराराम पुत्र पूनमाराम
4. गेनाराम पुत्र पूनमाराम
5. खूमाराम पुत्र मगाराम
6. पुरखाराम पुत्र मगाराम
7. प्रहलादराम पुत्र मगाराम
8. समरथाराम पुत्र मगाराम
9. रूखमो पत्नि मगाराम
10. पीराराम पुत्र तुलसाराम
11. हरजीराम पुत्र तुलसाराम
12. मूलाराम पुत्र केहराराम
13. नन्दराम पुत्र कुंभाराम (फौते के कामय मुकाम)
- 13/1 सोलाराम पुत्र नन्दराम
- 13/2 डूंगाराम पुत्र नन्दराम

जातियान जाट निवासी सरेली की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर हाल बालोतरा

14. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा भूका भगतसिंह जिला बालोतरा
15. शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर हाल स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा सिणधरी जिला बालोतरा।
16. तहसीलदार सिणधरी जिला बालोतरा।

7
सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी



राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपरिस्थिति-

1. श्री भंवरलाल चौधरी, अधिवक्ता वांदा की ओर से उपरिस्थित।
2. प्रतिवादी सं. 16 पैरोकार उपरिस्थित, शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक- 13.08.2024

संक्षिप्त में वादपत्र के सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं, कि मौजा- सरेली की ढाणी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 464 रकबा 39.5358 हेक्टेयर के संबंध में प्रस्तुत वादपत्र दिनांक 04.04.2024 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर वादिनी का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार सिणधरी द्वारा आदेश की पालना में न्यायालय द्वारा पारित माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार तहसील सिणधरी में अवस्थित भूमि के मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे वादिनी अधिवक्ता की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार भी किया गया।

लिहाजा वादिनी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर मौजा- सरेली की ढाणी पटवार हल्का डण्डाली तहसील सिणधरी के खेत खसरा नं. 464 रकबा 39.5358 हेक्टेयर भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

कं सं	नाम खातेदार	ग्राम	खसरा नं.	रकबा हेक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1.	गंगादेवी पत्नि डालूराम जाति जाट सा. देह खातेदार। रहन-SBI शाखा भूंका भगतसिंह।	सरेली की ढाणी	464	4.9429	बा. दो.		हरा
2.	1. कवराराम पुत्र पूनमाराम 9417/345929 2. गेनाराम पुत्र पूनमाराम 9417/345929 3. रिधू पत्नि पूनमाराम 4708/345929 4. मूलाराम पुत्र केहराराम 49430/345929 5. मीरों देवी पत्नि रतनाराम 75318/345929 6. छोलाराम पुत्र नन्दराम 49430/345929 7. डूंगराराम पुत्र नन्दराम	सरेली की ढाणी	464	34.5929	बा.दो.		लाल

3
सहायक क्लर्क
SDO सिणधरी



49430 / 345929						
8. पीराराम पुत्र तुलसाराम 33007 / 345929						
9. खुगाराम पुत्र मगाराम 6553 / 345929						
10. पुरखाराम पुत्र मगाराम 6553 / 345929						
11. प्रहलादराम पुत्र मगाराम 6553 / 345929						
12. सगरथाराम पुत्र मगाराम 6553 / 345929						
13. रूखमो पत्नि मगाराम 6553 / 345929						
14. जालाराम पुत्र हरजीराम 6876 / 345929						
15. प्रागाराम पुत्र हरजीराम 6876 / 345929						
16. हनुमानराम पुत्र हरजीराम 6876 / 345929						
17. तुलछी देवी पत्नि हरजीराम 5503 / 345929						
18. मेघाराम पुत्र ठाकराराम 2750 / 345929						
19. बाबुलाल पुत्र ठाकराराम 2750 / 345929						
20. गेनीदवी पत्नि ठाकराराम 1376 / 345929 जाति जाट सा. देह खातेदार। रहन- प्रहलादराम, रूखमो का हि. जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा सिणधरी व मीरो का हि. SBI शाखा भूंका भगतसिंह।						

तहसीलदार सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें, संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.08.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) सिणधरी